22.4.18 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। मूल वाद Not Press में खारिज हो चुका है इसलिये T.I. प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः मूल वाद के परिपेक्ष में T.I. प्रा० पत्र भी खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner